न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 176 / 2020
नारायणी देवी आयु 85 साल पत्नी स्व0 भूराराम जाति जाट निवासी ग्राम कैरू तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. अमीचंद पुत्र बालू तथाकथित पुत्र स्व0 भूरा आयु 60वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम कैरू तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)
2. नायब तहसीलदार, नवलगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)

——रेस्पोडेन्ट

——

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा दफा 5 मियाद अधिनियम

——

उपस्थित :—
1. श्री मुस्ताक अली खान, एडवोकेट— रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से
2. श्री श्रवन कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से

आदेश

दिनांक 25.01.2021

उक्त विवादक प्रार्थना पत्र विद्वान नायब तहसीलदार नवलगढ के आदेश दिनांक 16.04.1992 नामान्तरकरण संख्या 80 वाके ग्राम कैरू के विरूद्व प्रस्तुत हुआ है। अपीलार्थीया एक अनपढ महिला है उसने जब हल्का पटवारी से स्व0 भूराराम के हिस्से 1/2 की कृषि आराजीयात क बाबत जानकारी प्राप्त की तो हल्का पटवारी ने कहा कि भूराराम की मृत्यू के पश्चात अमीचंद/रेस्पो0 ने वसीयत के आधार पर नामातकरण संख्या 80 तस्दीक करा लिया तथा अकेला अमीचंद भूरा की कृषि भूमियो का मालिक हो गया है तुम्हारा (अपीलांट) का नाम भूरा की जमीन में नही रहा है। यह जानकारी दिनांक 25.08.2020 को प्राप्त होने पर अपीलार्थीया ने उसी दिन नामान्तरण संख्या 80 की नकल हेतु आवेदन पेश किया जिस पर नकल दिनाक 26.08.2020 को हल्का पटवारी से प्राप्त हुई तथा अविलम्ब अपील योम जानकारी से अंदर मियाद 30 दिवस में मान्य न्यायालय में पेश की गई है तथा अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरीना मजबूरीवश हुई है उक्त देरी प्रार्थीया/अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर नहीं की गई है, जिसे क्षमा किया जाना न्यायसंगत व प्रार्थनीय है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन प्रस्तुतीकरण में मजबूरीवश हुई देरीना को न्यायहित में कंडोन करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.02 17:09:36 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया उपस्थित नहीं आये।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुऐ कथन किया कि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीया को नामान्तरकरण संख्या 80 की जानकारी नामान्तकरण तस्दीक होने की दिनांक 16.04.1992 से रही है। प्रार्थीया ने झुठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया ने उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ के न्यायालय में एक दावा उनवानी नारायणी देवी बनाम अमीचन्द वगैरह मु.न. 115/2014 बाबत कागजात दुरूस्त करवाने रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16.06.2014 को प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी नारायणी देवी बनाम अमीचन्द वगैरह मु.न. 115/14 प्रस्तुत की है। उक्त तथ्यों के आधार पर उक्त प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा तमाम राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपी लेने के उपरान्त उक्त वर्णित वादपत्र प्रस्तुत किया है। वाद पत्र की धारा 3 में प्रार्थीया द्वारा यह कथन किया है कि " वादीया की वृद्धावस्था व अज्ञानता का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 अमीचन्द ने भूरा का सन् 1991 में स्वर्गवास होने पर ईनका तथाकथित पुत्र बनकर विवादग्रस्त भूमि का अंतकाल भरवा कर व तस्दीक करवा कर खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली है।" इस प्रकार प्रार्थीया का यह कथन साबित करता है कि उसे उक्त नामान्तरकरण संख्या 80 की जानकारी पूर्व से रही है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अ. धारा 5 मि.अ. मय अपील के खारिज फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया को उक्त नामान्तरकरण संख्या 80 आदेश दिनांक 16.04.1992 की जानकरी पहले से रही है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में निराधार तथ्यों का अंकन किया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अ. धारा 5 मि.अ. खारिज फरमाया जावें।।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उसे उक्त नामान्तरकरण संख्या 80 पर आदेश दिनांक 16.04.1992 की जानकारी दिनांक 25.08.2020 को हुई, परन्तु स्वयं प्रार्थीया ने अपनी अपील की मद संख्या 6 में यह अंकित किया है कि " रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अमीचन्द द्वारा गैर कानूनी तरीके से तथा धोखाधडी करके जो नुमायशी वसीयत दिनांक 11.08.1988 को कराई है उसकी जानकारी प्राप्त होने पर अपीलार्थीया ने राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ में एक राजस्व वाद सन् 2014 में पेश कर दिया था, जो विचाराधीन है।" ऐसे में प्रार्थीया का यह कथन कि उसे उक्त नामान्तरकरण जानकारी नहीं रही इसे सही नहीं माना जा सकता है। न्यायालय की दृष्टि में पक्षकार को जानकारी होने के बावजूद उस आदेश से इतने साल बाद अपील प्रस्तुत कर देरी कण्डोन करना उचित नहीं है। प्रार्थीया ने कोई तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके द्वारा इतने लम्बे समय की देरी को कण्डोन किया जा सकें। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.02 17:09:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा दफा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र खारिज होने की स्थिति में अपील स्वतः ही निरस्त मानी जावें। आदेश की प्रति मय रिकार्ड के अदालत मातहत को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर रिकार्ड दुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/01/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर
झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.02 17:09:36 IST
Reason: SelfAttested